पत्रांक : 2140 /आयु0क0उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनु0/2016–2017/दे0दून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड।
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनः दिनांकः 10 जून, 2016

::विज्ञप्तिः:

[उत्तराखण्ड होटलों में सुख–साधन कर नियमावली, 2009 के नियम 4 के उपनियम (1) तथा नियम 16 के उपनियम (1) के अन्तर्गत]

उत्तराखण्ड होटलों में सुख–साधन कर नियमावली, 2009 के नियम 4 के उपनियम (1) में प्राविधानित है कि सुख–साधन कर से सम्बन्धित विवरणी उस मास की, जिसके सम्बन्ध में विवरणी हो, समाप्ति के पश्चात् सात दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।

उत्तराखण्ड होटलों में सुख–साधन कर नियमावली, 2009 के नियम 4 के उपनियम (1) तथा नियम 16 के उपनियम (1) के अधीन रखे गए लेखे, रजिस्टर और दस्तावेज यथा एल0टी0 प्रपत्र–2, एल0टी0 प्रपत्र–3 तथा एल0टी0 प्रपत्र–4 विभागीय वैबसाइट http://comtaxappl.uk.gov.in पर login करने के उपरान्त Luxury Tax Return शीर्षक के अन्तर्गत डाउनलोड हेतु उपलब्ध है। इस विवरणी को माह जून, 2016 से अनिवार्य रूप से ऑनलाईन दाखिल किया जाएगा।

उत्तराखण्ड होटलों में सुख–साधन कर नियमावली, 2009 के नियम 4 के उपनियम (1) तथा नियम 16 के उपनियाम (1) के अर्न्तगत प्राविधानित विवरणी ऑनलाइन दाखिल किये जाने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश वाणिज्य कर मुख्यालय के आई0टी0अनुभाग द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे।

(दिलीप जावलकर)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 : 2140 /दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव वित, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

2– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/रुद्रपुर।

3– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0) वाणिज्य कर, को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त विज्ञप्ति की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध करायें।

4– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून/हल्द्वानी।

5– श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर एवं Web Information Officer को विभागीय वैबसाइट पर प्रसारित करने हेतु।

6– समस्त अनुभाग अधिकारी/विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

Aud_(Vidhi_L)